इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड

चेकों/लिखतों की संग्रहण नीति

1. परिचय

अदायगी तथा निपटान प्रणालियों में प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा अनेक बैंकों द्वारा परिचालन संबंधी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में किए गए गुणात्मक बदलावों को मद्दे नजर रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को (i) स्थानीय/बाह्य चेकों की राशि तत्काल जमा करने, (ii) स्थानीय/बाह्य लिखतों के संग्रहण हेतु नियत समय तथा (iii) देरी से संग्रहण हेतु ब्याज की अदायगी के संबंध में, पहले जारी अनुदेश 1 नवंबर 2004 से वापस ले लिए हैं. इन अनिवार्य अनुदेशों के वापस लेने से यह अपेक्षा थी कि बाजार की प्रतिस्पर्धी ताकतें आगे आएंगी और चेकों तथा अन्य लिखतों की संग्रहण संबंधी कार्यकुशलता में सुधार आएगा. बैंक की संग्रहण नीति अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और कार्य-निष्पादन के ऊँचे मानक स्थापित करने हेतु किए जाने वाले हमारे निरंतर प्रयासों का संकेत है. यह नीति ग्राहकों के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने के सिद्धांतों पर आधारित है. बैंक, ग्राहकों को शीघ्र संग्रहण सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के लिए वचनबद्ध है. इस नीति में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है.

- ➢ स्थानीय, भारत के भीतर अन्य केन्द्रों तथा विदेश में देय चेकों तथा अन्य लिखतों का सग्रहण.
- ➢ लिखतों के संग्रहण हेतु समय के मानदंड संबंधी हमारी वचनबद्धता.
- ➢ जब बैंक बाहरी लिखतों से संबंधित राशियों के संग्रहण के संबंध में समय के मानदंडों का पालन करने में असफल हो तो ऐसे मामलों में ब्याज की अदायगी संबंधी नीति.
- ➢ मार्ग में खोये लिखतों के बारे में हमारी नीति.

2. संग्रहण हेतु व्यवस्थाएं:

2.1 स्थानीय चेक

स्थानीय रूप से देय सभी चेक तथा अन्य लिखत उस केंद्र पर प्रचलित समाशोधन प्रणाली द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे. निर्दिष्ट समय से पहले शाखा के काउंटरों पर दिये गये तथा शाखा के परिसर में रखे वसूली बक्सों में डाले गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे. निर्दिष्ट समय के बाद जमा कराये गये तथा कार्यालय परिसर के बाहर रखे बक्सों, जिनमें ऑफ-साइट एटीएम भी शामिल हैं, में डाले गए चेक अगले समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे. नीति के तहत बैंक समाशोधन हो जाने के बाद उसी दिन ग्राहक के खाते में संबंधित राशि जमा करेगा. इस प्रकार जमा की गई राशि के आहरण की अनुमति समाशोधन गृह की

चेक-वापसी अनुसूची के अनुसार दी जाएगी. जहाँ लागू होगा, उच्च-मूल्य समाशोधन (उसी दिन जमा) की सुविधा ग्राहकों को प्रदान की जाएगी.

जिन केंद्रों पर कोई समाशोधन गृह नहीं है, वहाँ स्थित बैंक की शाखाएं स्थानीय चेकों को अदाकर्ता बैंक के काउंटर पर प्रस्तुत करेंगी तथा बैंक का यह प्रयास होगा कि राशियां यथाशीघ्र जमा की जाएं.

ग्राहकों की सूचना के लिए सभी शाखाओं में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी :-

(क) वह निर्दिष्ट समय, जब तक प्राप्त चेक उसी दिन समाशोधन हेतु भेजे जाएंगी.

(ख) प्रत्येक संग्रहण बॉक्स का निर्दिष्ट समय उस बॉक्स पर लिख दिया जायेगा.

(ग) उच्च मूल्य समाशोधन का निर्दिष्ट समय भी प्रदर्शित किया जायेगा.

(घ) सरकारी खातों जैसे आयकर आदि को अदायगी हेतु चेकों की प्राप्ति का निर्दिष्ट समय भी स्पष्ट रूप से शाखा में प्रदर्शित किया जायेगा.

2.2 बाहरी केन्द्रों के चेक

बाहरी केंद्रों पर स्थित अन्य बैंकों पर आहरित चेकों का संग्रहण सामान्यत: उन केंद्रों पर स्थित बैंक की अपनी शाखाओं द्वारा किया जायेगा, जहाँ बैंक की अपनी कोई शाखा नहीं है, वहाँ संग्रहण हेतु लिखत, सीधे ही अदाकर्ता बैंक के पास भेजा जायेगा या किसी प्रतिनिधि बैंक के माध्यम से किया जायेगा. बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय समाशोधन सेवाएं जहाँ उपलब्ध हो, का भी उपयोग करेगा.

बाहरी केंद्रों पर स्थित बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेकों का संग्रहण प्रचलित अंतर-शाखा व्यवस्था का उपयोग करते हुए किया जायेगा. जो शाखाएं केंद्रीकृत प्रोसेसिंग व्यवस्था से जुड़ी हैं और अपने ग्राहकों को ‘कहीं भी’ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, वे अपने ग्राहकों को सीबीएस नेटवर्क की अपनी किसी भी शाखा पर आहरित बाहरी केन्द्र के लिखत की राशि को उनके खाते में उसी दिन जमा करेंगी.

2.3 विदेशों में देय चेक

जिन विदेशी केंद्रों पर बैंक की शाखा हो (या किसी सहायक संस्था, आदि के माध्यम से बैंकिंग परिचालन हों), उन केन्द्रों पर देय चेकों का संग्रहण उसी कार्यालय द्वारा किया जायेगा. प्रतिनिधि बैंक जिस देश / केंद्र पर मौजूद है, वहाँ उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा. जिन केंद्रों पर बैंक या उसके प्रतिनिधि

बैंकों की सीधे तौर पर मौजूदगी नहीं है, वहाँ विदेशी बैंको पर आहरित चेक सीधे ही अदाकर्ता बैंक को इन अनुदेशों के साथ भेजे जाएंगे कि संबंधित राशियां प्रतिनिधि बैंक में हमारे बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में जमा कर दी जाए.

2.4 स्थानीय / बाह्य चेकों / लिखतों की राशि तत्काल जमा करना

बैंक की शाखा / विस्तार काउंटर किसी वैयक्तिक खाताधारक द्वारा संग्रहण हेतु प्रस्तुत, अधिकतम रुपए 15,000/- के कुल मूल्य के बाहरी चेक / लिखतों की राशि तत्काल जमा करने पर विचार करेंगे बशर्तें उक्त खातों का परिचालन न्यूनतम छ: महीने तक संतोषजनक रहा हो. ऐसे संग्रहण लिखतों की राशि तत्काल जमा करने की सुविधा, ग्राहक द्वारा विशेष अनुरोध करने पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार दी जायेगी. तत्काल जमा की सुविधा उन केंद्रों के स्थानीय चेकों के बारे में भी दी जाएगी जहाँ कोई औपचारिक समाशोधन गृह नहीं है.

तत्काल जमा की सुविधा ग्राहकों के बचत / चालू / नकद ऋण खातों में दी जाएगी. यह सुविधा प्रदान करने के लिए खाते में न्यूनतम बकाया राशि की कोई अलग शर्त नहीं लगाई जाएगी.

इस नीति के अधीन, पूर्व-प्रदत्त लिखतों जैसे डिमांड ड्राफ्ट / ब्याज / लाभांश वारंटों पर तत्काल जमा की सुविधा दी जाएगी बशर्ते वे बैंक द्वारा अपनी ही शाखाओं पर आहरित हों.

जिस चेक की राशि तत्काल जमा की जाती है और वह नकारा जाता है तो ग्राहक से उतनी अवधि के लिए ब्याज की वसूली की जाएगी जितनी अवधि तक बैंक को निधियाँ नही मिलीं तथा ब्याज की दर वैयक्तिक ग्राहकों के लिए ओवरड्राफ्ट सीमाएं मंजूर करने के लिए लागू दर के समान होगी.

इस नीति के प्रयोजन हेतु उस खाते का परिचालन संतोषजनक माना जायेगा, जो :

(क) न्यूनतम छ: महीने पहले खोला गया हो तथा केवाईसी मानदंडों को पूरा करता हो.

(ख) खाते का परिचालन संतोषजनक रहा हो तथा बैंक ने कोई अनियमित लेन-देन न देखा हो.

(ग) जिसके चेकों / लिखतों की राशि तत्काल जमा करने के बाद वित्तीय कारणों से बिना अदायगी के वापिस न आए हों.

(घ) जहाँ बैंक को, विगत खाताधारक को दी गई राशि वसूल करने में कोई कठिनाई न आई हो, इनमें तत्काल जमा करने के बाद वापिस आए चेक भी शामिल होंगे.

बैंक संग्रहण के लिए प्रस्तुत बाहरी केन्द्र के लिखतों की तत्काल जमा की सुविधा देते समय सामान्य संग्रहण प्रभार तथा फुटकर व्यय प्रभारित करेगा. हालांकि चेक खरीद के लिए लागू विनिमय प्रभार नहीं लिए जाएंगे.

2.5 स्थानीय / बाहरी केन्द्र के चेकों की खरीद

बैंक, अपने विवेकाधिकार से, संग्रहण के लिए प्रस्तुत स्थानीय / बाहरी केन्द्र के चेक ग्राहक के विशेष अनुरोध पर या पहले से लागू व्यवस्था के अनुसार खरीद सकता है. चेक खरीदते समय खाते के संतोषजनक परिचालन के साथ-साथ चेक के आहरणकर्ता की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा.

3. स्थानीय / बाहरी केन्द्र के चेकों / लिखतों के संग्रहण हेतु समय अवधि

समाशोधन हेतु प्रस्तुत स्थानीय चेकों के मामले में समाशोधन में निधियों के निपटान की तिथि को ही, संबंधित राशि जमा कर दी जाएगी तथा खाताधारक को लागू वापसी समाशोधन मानदंडों के अनुसार निधियों के आहरण की अनुमति दी जाएगी.

उच्च मूल्य समाशोधन (न्यूनतम 1 लाख रुपये मूल्य) में प्रस्तुत चेकों / लिखतों की राशि उसी दिन जमा कर दी जाएगी (केवल उच्च मूल्य / उसी दिन समाशोधन के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों के बारे में लागू).

देश के भीतर अन्य केंद्रों पर संग्रहण हेतु प्रस्तुत चेकों तथा अन्य लिखतों के मामले में निम्नलिखित समय-मानदंड लागू होंगे :

(क) चार मुख्य मैट्रो केंद्रों (नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई) में से किसी एक पर प्रस्तुत चेक, जो अन्य तीन में से किसी एक केन्द्र पर देय हो : 7 दिन की अधिकतम अवधि

(ख) मेट्रो केंद्र तथा राज्यों की राजधानियां (उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम को छोड़कर) : 10 दिन की अधिकतम अवधि

(ग) अन्य सभी केंद्रों में : 14 दिन की अधिकतम अवधि

(घ) जहाँ आईडीबीआई की कोई शाखा न हो और चेकों की वसूली प्रतिनिधि बैंकों के माध्यम से की गई हो : अधिकतम 21 दिन

(ड) विदेशों पर आहरित चेक : ऐसी लिखत "बेहतरीन प्रयास" के आधार पर संग्रहण के लिए स्वीकार किये जाते हैं बैंक ऐसे लिखतों के शीघ्र संग्रहण हेतु अपने प्रतिनिधि बैंक के साथ संग्रहण वसूली समझौता कर सकता है. प्रतिनिधि बैंक के पास अपने नोस्ट्रो खाते में राशियां जमा होने के बाद देशों में लागू विराम (कूलिंग) अवधि को ध्यान में रखते हुए बैंक संबंधित पार्टी के खाते में राशि जमा करेगा. विभिन्न विदेशी मुद्राओं के लिए निर्धारित विराम अवधि अनुबंध 1 में दी गई है.

चेक / लिखतें बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित हैं या अन्य बैंकों की शाखाओं पर, समय संबंधी उपर्युक्त मानदंड लागू होंगे.

4. बाहरी केन्द्र के चेकों का देरी से संग्रहण करने पर ब्याज की अदायगी

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के हिस्से के रूप में, बैंक अपने ग्राहको को लिखतों की राशि, ऊपर वर्णित अवधि के बाद, देरी से जमा करने की स्थिति में ब्याज अदा करेगा. इस ब्याज की अदायगी सभी प्रकार के खातों में, ग्राहकों द्वारा मांग किए बिना, की जाएगी. संग्रहण में हुई देरी के कारण ब्याज की अदायगी के प्रयोजन के लिए इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि वे लिखत बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित या अन्य बैंकों की शाखाओं पर हैं.

संग्रहण में देरी होने पर निम्नलिखित दरों से ब्याज की अदायगी की जायेगी:

(क) बाहरी केन्द्र के चेकों के संग्रहण के मामले में 7 / 10 / 14 दिनों, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर.

(ख) जहाँ देरी 14 दिन से अधिक हो, वहाँ सावधि जमा के लिए लागू दर से संबंधित अवधि के लिए ब्याज अदा किया जाएगा.

(ग) असाधारण देरी अर्थात 90 दिनों से अधिक देरी होने पर तदनुरूपी सावधि जमा दर से 2% अधिक ब्याज अदा किया जाएगा.

(घ) यदि संग्रहण के लिए प्राप्त चेक की राशि ग्राहक के ओवर ड्राफ्ट / ऋण खाते में जमा की जानी थी तो उस ऋण खाते पर लागू दर से ब्याज अदा किया जाएगा. असाधारण देरी होने पर ऋण खाते पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज अदा किया जाएगा.

यह नोट किया जाए कि उक्त रूप में ब्याज की अदायगी केवल भारत के भीतर संग्रहण हेतु भेजे गये लिखतों पर लागू होगी.

5. मार्ग में / समाशोधन प्रक्रिया में या बैंक की अदाकर्ता शाखा में खोये गए चेक / लिखत

यदि संग्रहण हेतु स्वीकृत कोई चेक या लिखत मार्ग में या समाशोधन प्रक्रिया में या अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, तो बैंक उसके की जानकारी मिलते ही खाताधारक को तुरंत सूचित करेगा ताकि वह आहरणकर्ता को ``भुगतान रोको'' के लिए कह सके, साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखे कि खोये हुए चेकों/लिखतों की राशि जमा न होने के कारण उनके द्वारा जारी किए गए कोई चेक अस्वीकार न हो जाए. बैंक, ग्राहक को चेक के आहरणकर्ता से डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए हर तरह से सहायता प्रदान करेगा.

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार, खाताधारक को लिखतों के मार्ग में गुम खो के मामले में बैंक निम्नलिखित रूप से क्षतिपूर्ति करेगा:

क) यदि ग्राहक को लिखत के खोने की सूचना संग्रहण हेतु निर्धारित समय (7/10/14 दिन, जैसी भी स्थिति हो) बीत जाने के बाद दी जाती है तो उस बढ़ी हुई अवधि के लिए ऊपर वर्णित दरों से ब्याज की अदायगी की जाएगी.

ख) इसके अतिरिक्त, बैंक डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रहण होने में लगने वाली संभावित देरी के लिए, चेक की राशि पर अगले 15 दिनों के लिए बचत बैंक दर से अदायगी भी करेगा

ग) यदि डुप्लीकेट चेक/लिखत जारी करने के लिए बैंक/संस्थान द्वारा ग्राहक से कोई शुल्क लिया जाता है तो बैंक, ग्राहक द्वारा डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने के लिए खर्च किए जाने वाले उचित प्रभारों से संबंधित रसीद प्रस्तुत किए जाने पर, उनकी क्षतिपूर्ति करेगा.

घ) यदि बैंक कोई चेक गुम कर देता है तो 'भुगतान रोकने' के लिए लगने वाले प्रभार, यदि कोई हों, का वहन बैंक करेगा.

6. अपरिहार्य घटना

यदि अज्ञात घटनाएं (जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं; सामाजिक विप्लव, विध्वंस, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य मजदूर गड़बड़ियां, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य "दैवी प्रकोप", युद्ध, बैंक की या उसके प्रतिनिधि बैंक की सुविधाओं को नुकसान होने, संप्रेषण के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन साधनों आदि के अभाव, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो जाएं और जिसकी वजह से बैंक सेवाएं प्रदान करने के निर्दिष्ट मानदंडों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह न कर सके, तो बैंक राशि को जमा करने में हुई देरी के लिए क्षतिपूर्ति नहीं करेगा.

7. तत्काल राशि जमा करने के बाद चेक अदत्त वापस आने पर ब्याज लेना

यदि संग्रहण के लिए भेजा गया कोई ऐसा चेक अदत्त वापस आ जाता है जिसके लिए बैंक ने संबंधित राशि तत्काल जमा कर दी थी तो उस चेक की राशि तुरंत खाते में नामे डाली जाएगी. ग्राहक को राशि जमा करने की तिथि से उक्त लिखत

वापस आने की तिथि तक उस स्थिति में कोई ब्याज की अदायगी नहीं की जाएगी जब निधियों का आहरण होने के कारण निधियां बैंक में जमा न रही हों. जहाँ लागू हो, खाते में कल्पित अधिआहरित बकाया राशियों पर ब्याज लगेगा, मानो आरंभ में राशि जमा न की गई हो.

यदि चेक की राशियां बचत बैंक खाते में जमा कर दी जाती थी, उनका आहरण नहीं किया गया, तो चेक अदत्त वापस आने की स्थिति में उक्त राशि पर ब्याज की अदायगी नहीं की जाएगी. यदि यह राशियां किसी ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की जाती हैं तो चेक अदत्त वापस आने पर, राशि जमा करने की तिथि से लेकर बैंक के पास निधियां न रहने की तिथि तक, उस खाते के संबंध में लागू ब्याज दर से 2% अतिरिक्त की वसूली की जाएगी.

अनुबंध 1

विभिन्न विदेशी मुद्राओं के लिए विराम अवधि

1.	अमरीकी डॉलर	21 दिन
2.	पौंड स्टर्लिंग	21 दिन
3.	यूरो	21 दिन